सामूहिक दुष्कर्म एवं लूट की घटना का 48 घण्टे के अंदर खुलासा

सभी चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार, निकाला गया जुलूस

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, विगत 29 अप्रैल को एक नाबालिग बालिका के दोस्त को बंधक बनाकर चार आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुये चारो आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनका देवेन्द्रनगर में पुलिस द्वारा जुलूस निकाला गया।

हासिल जानकारी के अनुसार दिनांक 29 अप्रेल को पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना देवेंद्रनगर में धारा 115(2), 137(2), 70(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का अपराध दर्ज कर गंभीरता से

विवेचना प्रारंभ की गई । विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(ई), 3(2)(व), 3(2)(वा) एससी/एसटी एक्ट की धाराओं का समावेश किया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर संतोष यादव एवं टीआई पन्ना रोहित मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई । गठित पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के हुलिया के आधार पर आसपास के ग्रामों में संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाश की गई। पुलिस टीम द्वारा बड़ागाँव बांध क्षेत्र में घेराबंदी कर तीन आरोपियों श्रीपाल गडारी, पिता राम सनेही गडारी, उम्र 27 वर्ष, शनि पाल, पिता संतोष पाल, उम्र 23 वर्ष, राहुल जैसवाल, पिता शारदा प्रसाद जैसवाल, उम्र 27 वर्ष निवासी बडागांव थाना देवेन्द्रनगर को पकड़ा गया। संदेहियों से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया तथा एक अन्य सह-अभियुक्त हेतराम उर्फ हितु पटेल, पिता भुराइयां पटेल, उम्र 59 वर्ष निवासी बड़ागाँव की जानकारी भी दी। तत्पश्चात चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया की आरोपी जंगल मे पहले से मौजूद थे जैसे ही युवक-युवती एकांत स्थान पर आये तो मौके का फायदा उठाकर युवक को बंधक बनाकर यवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है।,इस दौरान आरोपियों द्वारा दुष्कर्म करने का वीडियो भी बनाया गया साथ हि पीडिंता एवं उसके साथी से नगद रुपये एवं मोबाइल चॉदी की चौन छीन ले गये थे। जिसको पुलिस टीम द्वारा जप्त कर लिया गया है।

लूट का सामान बरामद

उपरोक्त आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन, एक लाल रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक हीरो कंपनी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक साइकिल तथा पीड़िता से लूटा गया सामान (मोबाइल,चांदी की चेन एवं 10,000 नगदी) बरामद कर विधिवत जप्त किया गया है।

पन्ना जिले में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

अमानगंज मार्ग पर लगा 5 किमी लंबा जाम

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, जिले में कुदरत का कहर टूट पड़ा है, तेज आंधी और भीषण तूफान के साथ हुई बेमौसम बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है।

तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पन्ना-अमानगंज मार्ग पर द्वारी और पेपरवाह के बीच दर्जनों बिजली के खंभे जमींदोज हो गए हैं, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। तूफान के कारण पेपरवाह के पास मुख्य मार्ग पर पेड़ों और बिजली के पोल गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी और उमस के बीच घंटों से जाम में फंसे यात्री और वाहन चालक बेहाल नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस नेता भरत मिलन पाण्डेय जबलपुर से गिरफ्तार

राजनैतिक दबाव में कार्रवाई का लगाया आरोप

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में अवैध पत्थर परिवहन को रोकने गई वन विभाग की टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने पन्ना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडेय को जबलपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में पुलिस ने उनके भाई लखनलाल पांडेय और भतीजे सोलू पांडेय के खिलाफ पहले ही प्रकरण दर्ज किया था, जिनकी तलाश अब भी जारी है। यह पूरा मामला 23 अप्रैल का है जब धरमपुर वन परिक्षेत्र की टीम गश्त के दौरान छठवां मील चौराहे पर मौजूद थी। टीम ने पत्थरों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जब पूछताछ की, तो चालक ने खुलासा किया कि वह लखनलाल पांडेय के निर्देश पर बिना किसी वैध दस्तावेज के जंगल से पत्थर ढो रहा था। इसी कार्रवाई के बीच आरोपी लखनलाल और उसका बेटा सोलू पांडेय मौके पर पहुँच गए और उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए ट्रैक्टर की चाबी छीन ली। इसके बाद वे जबरन ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से छुड़ाकर भाग गए। घटना के दौरान कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडेय भी अपनी चार पहिया गाड़ी से वहाँ पहुँचे।

राजनैतिक दबाव के चलते एफआईआर में नाम जोड़ने का आरोप

कांग्रेस नेता भरत मिलन पाण्डेय के परिजनों ने बताया कि इस घटना में श्री पाण्डेय का कहीं कोई लेना देना नही था सिर्फ सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के दबाव में बाद में नाम जोडा गया है। वहीं अजयगढ़ थाना प्रभारी हरि सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान भरत मिलन पांडेय की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने जबलपुर के एक होटल में दबिश देकर उन्हें हिरासत में ले लिया।

जनगणना के प्रथम चरण में मकानों की गणना का कार्य शुरू

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य मध्यप्रदेश में एक से 30 मई के मध्य सम्पन्न होना है। इस संबंध में निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल कार्तिकेय गोयल द्वारा गुरूवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

उन्होंने जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी कक्ष में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ऊषा परमार सहित अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी मधुवंतराव धुर्वे, चार्ज जनगणना अधिकारी व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में निदेशक द्वारा सभी पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षी सर्किल आवंटित करते हुए प्रगणकों को मकान सूचीकरण ब्लाकों को आवंटित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी पर्यवेक्षक एवं प्रगणक को नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र एवं जनगणना किट वितरित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। निदेशक द्वारा निर्देश दिए गए कि शुक्रवार, एक मई से प्रारंभ हो रहे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की चेक पॉइंट निर्धारित करते हुए उनकी समय समय पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षक एवं प्रगणक 1 मई के

बाद एचएलओ ऐप का सही वर्जन डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। सभी पर्यवेक्षक एवं प्रगणक 3 मई तक ऐप पर सफलतापूर्वक लॉगिन कर लें। साथ ही सभी प्रगणक 3 मई तक ऐप पर कम से कम एक इंट्री कर अवश्य सिंक कर लें। प्रगणक 4 मई तक फील्ड कार्य अनिवार्यत: प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। सभी पर्यवेक्षक 5 मई तक डाटा सिंक करना प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। अनिवार्य रूप से प्रगणक द्वारा 5 मई तक अपने आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक का 10 प्रतिशत कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। जनगणना निदेशक ने कहा कि ऐसे प्रगणक जिन्हें एक से ज्यादा मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित हैं, उनके लिए यह समय सीमा 10 मई तक है। ऐसे प्रगणक जिन्हें एक मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित हैं, वे 10 मई तक 40 प्रतिशत तथा 15 मई तक 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लें। ऐसे प्रगणक जिन्हें एक मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित हैं, वे 20 मई तक 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करें। 20 मई से 30 मई तक कार्य का पुनरीक्षण कार्य करना है तथा पहले बंद मकानों पर जाकर पता करें कि उसके रहवासी यदि आ गए हों, तो डाटा अपडेट करें। निदेशक द्वारा जिले एवं चार्जों में एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, जो कि पर्यवेक्षक एवं प्रगणक को मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में आने वाली समस्याओं को निस्तारित करने का कार्य करेंगे। इसके लिए जिले में नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स एवं फील्ड ट्रेनर्स की भी सेवाएं ले सकते हैं। समय समय पर चार्जों में मकान सूचीकरण कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु भ्रमण करने पर भी जोर दिया गया। बैठक उपरांत जिला कलेक्टर ने उक्त बैठक के क्रम में सभी को उल्लिखित सभी बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी पर्यवेक्षक एवं प्रगणक को अपना कार्य पूर्ण गुणवत्तापूर्वक करते हुए निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न करने के लिए निर्देशित किया।

वाहन चालकों की कमर तोड़ रहे सतना-बमीठा एनएच-39 के गड्ढे

▸ ब्लैक लिस्टेड होगा ठेकेदार

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 में सतना से बमीठा तक 97.08 किलो मीटर का मरम्मत कार्य 41.39 करोड़ रुपए की लागत से करने का टेंडर बिल्डअप प्राइवेट लिमिटेड छतरपुर ने अक्टूबर 2025 में लिया था।

टेंडर लेने के बाद ठेका कंपनी ने मरम्मत के नाम पर महज कुछ जगह गड्ढों को भरकर खानापूर्ति की। चीफइंजीनियर मप्र लोक निर्माण विभाग, भोपाल ने ठेका कंपनी की मनमानी को गंभीरता से लिया है। ठेका कंपनी को टेंडर कैंसिल करने का नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 सतना से बमीठा तक 97.08 किलो मीटर की मरम्मत कार्य के लिए 78.68 करोड़ रुपए की निविदा जारी की गई थी। ठेकेदार द्वारा 36.41 प्रतिशत कम की सबमिट एनएच-39 की मरम्मत 41.39 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाना था।

गड्ढे भरने के नाम पर पूरी की औपचारिकता - एनएच-39 की मरम्मत का काम ठेका लेने वाली कंपनी बिल्डअप प्राइवेट लिमिटेड छतरपुर ने अक्टूबर 25 में बमीठा से काम शुरू किया। बीच में छोड़-छोड़ कर गड्ढे भरने का काम किया गया। इससे सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। लोगों को आवाजाही में फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। दर्जनों शिकायतों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं।

गहरे गड्ढे, शरीर के जोड़ हिला रहे - राष्ट्रीय राजमार्ग-39 मरम्मत के अभाव में बदहाल हो गया है। सतना बैरियर से मोहन निवास चौराहा डेढ़ किमी के दायरे में आधा सैकड़ा से ज्यादा गहरे गड्ढे हैं, जो कि लोगों के शरीर के जोड़ तक को हिला रहे हैं। गहरे गड्ढों में फंसकर रोजाना लोग लहूलुहान भी हो रहे हैं। मडला घाटी में साइड शोल्डर की मिट्टी हट चुकी है। जगह-जगह झाड़ियां उग आई हैं।

घाटी के संकरे रास्ते में हर दम लगता है जाम

एनएच-39 देवेंद्रनगर से बमीठा तक सिंगल लेन है। यहां वाहनों की क्रॉसिंग के दौरान हादसे का डर बना रहता है। रास्ता संकीर्ण होने की वजह से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। जाम का झांम बना रहता है। जाम के झाम में फंसकर लोग घंटों परेशान होते रहते हैं। रास्ता फोरलेन हो जाने के बाद आवागमन सुगम होगा और लोगों को जाम के झाम से निजात मिलेगी।

यातायात पुलिस ने पन्ना के छात्र-छात्राओं को हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर दी जानकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण असंख्य अमूल्य जानें समाप्त हो जाती हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अनदेखी,असावधानी एवं लापरवाही के कारण होती है। इनमें से 50 प्रतिशत मृत्यु दो पहिया वाहन चालकों की होती है, जो अधिकांश वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनने से होती है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा इन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश स्तर पर दिनांक 26 अप्रेल से 10 मई तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिस अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक पन्ना

श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में यातायात पुलिस पन्ना द्वारा नेशनल पब्लिक स्कूल पन्ना के छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों का अनिवार्य रुप से पालन करने साथ ही दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में यातायात पुलिस पन्ना द्वारा सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, विद्यालय में उपस्थित छात्र/छात्राओं से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने और हेलमेट की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसका एक मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनना है। सभी दो पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठी सवारी के लिए आई.एस.आई. मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही हेलमेट को सही तरीके से लगाना और उसकी स्ट्रिप (पट्टा) बांधना आवश्यक है साथ ही चार पहिया वाहन (कार) में चालक सहित सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। साथ ही बताया गया कि तेजगति गति से वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चालन, ब्रेकिंग डिस्टेन्स न रखना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते वाहन चलाना, ओवरलोडिंग वाहन एवं खराब सड़के रोड एक्सीडेन्ट के लिए जिम्मेदार है, इनसे बचने के लिए यातायात नियमों का पालन कर निर्धारित गति में वाहन चालन, हेलमेट, सीटबेल्ट जैसे इक्युमेण्ट का उपयोग करना चाहिए।

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में प्रवेश प्रारम्भ

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा जारी ऑनलाइन काउंसलिंग समय-सारणी (वर्ष 2026-27) के अनुसार शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, पन्ना में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।

प्रथम चरण के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 04 मई से 29 मई तक संचालित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि में पंजीयन कर अपनी पसंदीदा संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। पंजीयन में सुधार की सुविधा 30 मई से 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। इसके पश्चात मेरिट सूची जारी होने एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अनुसार पूर्ण की जाएगी। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना के प्रभारी प्राचार्य उत्कर्ष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच संचालित हैं जिनमें प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 09 जून से 18 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुन: पंजीयन, संशोधन एवं चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। संस्थागत स्तर की काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त सीटों पर प्रवेश 04 जुलाई से 12 अगस्त तक किया जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि संस्थान में आधुनिक लैब, अनुभवी संकाय एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे समय-सीमा के भीतर आवेदन कर अपने भविष्य को नई दिशा दें। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी तकनीकी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं अथवा सीधे महाविद्यालय से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

कॉलेज चलो अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कॉलेज चलो अभियान का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश अनुसार सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों से संपर्क कर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। एनसीसी एवं एनएसएस के सहयोग से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें पुन: शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही विकासखंड स्तर पर प्रवेश मेले आयोजित किए जाएंगे तथा ई-प्रवेश ऐप व पोर्टल के माध्यम से पंजीयन को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्राओं एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं छात्र हितैषी बनाने के लिए जिला स्तरीय प्रवेश नोडल अधिकारियों को समन्वय संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत विद्यार्थियों को प्रत्येक चरण में समयबद्ध मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महाविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय से प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प सेंटर, जागरूकता अभियान एवं सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से करने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन व्यवस्था बनाई है। 24 घंटे एवं सात दिवस हेल्पडेस्क का संचालन किया जाएगा। ई-प्रवेश संबंधित जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 8000063632 और टोल फ्री नंबर 18008908399 जारी किए हैं।

मेडिकल कैंप के नाम पर शहर में मरीजों को लूटने का धंधा

बाहरी डॉक्टरों की डिग्री एवं नामचीन अस्पतालों की पदस्थापना भी फर्जी

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 मई, शहर मे अधिकांशत: शनिवार एवं रविवार को कुछ मेडिकल स्टोर संचालक एवं निजी अस्पताल संचालकों द्वारा पूरे शहर मे पंपलेट एवं एनाउंमेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर बाहरी डॉक्टरों को बुलाकर कैंप लगवाया जाता है.

पता चला है कि उनमें से अधिकांश डॉक्टरों की डिग्रियां भी फर्जी रहती है और देश के जिन जाने माने बडे अस्पतालों पदस्थापना का जिक्र कर उन डॉक्टरों को महिमा मंडित कर प्रचार किया जाता है वह पूर्णत: फर्जी होता है लेकिन इस ओर न स्वास्थ्य विभाग और न ही जिला प्रशासन का कोई ध्यान जा रहा है। जिस कारण इन फर्जी डॉक्टरों के सहारे लूट खसोट का व्यवसाय पन्ना शहर मे चल रहा है। शहर में कहीं न कहीं आये दिन नि:शुल्क मेडिकल कैम्प लग रहे हैं। जहां नि:शुल्क जांच व उपचार के नाम पर कोई न कोई पंपलेट छपाकर उसका प्रचार भी करता है। ऐसे मेडिकल कैम्पों में यहां के स्थानीय डाक्टरों का कोई स्थान नहीं होता बल्कि बाहरी डाक्टरों को नाम होता है। उनकी डिग्रियों व अनुभवों का भी पंपलेट में प्रचार किया जाता है। कोई एम्स से अनुभव प्राप्त होता है तो कोई मुम्बई या नागपुर आदि बड़े शहरों के बड़े नामचीन अस्पतालों का अनुभवी होता है, तो कोई विदेशों का अनुभवी बताया जाता है। डाक्टरों का नाम, पद एवं औहदे को पंपलेटों के माध्यम से इस तरह से प्रचारित किया जाता है जैसे यहां शिविर लगाने वाला डाक्टर वास्तव में विशेष अनुभव प्राप्त होता है। प्रचारित ऐसे किया जाता है जैसे वास्तव में उस डाक्टर से परामर्श लेने पर मरीज का सम्पूर्ण उपचार हो जायेगा। उसी पंपलेट प्रचार के आधार पर कई लोग ऐसे डाक्टरों के चक्कर में फंस भी जाते हैं। क्योंकि जहां भी नि:शुल्क उपचार, जांच व परामर्श की जानकारी गरीब लोगों को मिलती है वे वहां पहुचने की पूरी कोशिश करते हैं। किन्तु इसके पीछे एक बड़ी साजिस छिपी होती है। जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। यही कारण है कि नि:शुल्क जांच शिविर के नाम पर जो एक बार फस गया वह दस-बीस हजार खर्च करने के लिये फिर बाध्य भी हो जाता है। क्योकिं उसे इस तरह से समझा दिया जाता है जिससे उसे वह करना मजबूरी हो जाती है। इसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में मरीजों व उनके परिजनों के साथ बड़ी लूट यहां हो रही है। किन्तु यहां का प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से या तो अनभिज्ञ बना हुआ है अथवा वह जानते हुये भी कार्रवाई इसलिये नहीं करता क्योंकि वह पहले से ही ऐसे आयोजकों से फिक्सिंग कर चुका होता है।

मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा शिविरों का आयोजन क्यों?:- कई शिविरों का आयोजन मेडिकल स्टोर संचालित करवाने वाले संचालकों द्वारा किये जाते हैं। जबकि मेडिकल स्टोर का लाईसेंस जिसे भी जारी किया जाता है। उसे अपनी मेडिकल दुकान संचालित करनी चाहिये। उसका काम मरीजों को डाक्टरों द्वारा लिखी गई पर्ची से दवा की बिक्री करना होना चाहिये। उसका काम यह नहीं है कि वह अपने मेडिकल के नाम पर अपनी दुकान के सामने बाहरी डाक्टरों को बुलाकर नि:शुल्क जांच शिविरों का आयोजन करवाये। यदि वह ऐसा करवा रहा है और बार-बार करवा रहे हैं वह मरीजों का भला नहीं कर रहा बल्कि वह अपना फायदा देख रहा है। वह कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है। किन्तु वह अपने को पीड़ित मानवता की सेवा दिखाकर अपना स्वार्थ साध रहा है। इसके पीछे उसका स्वार्थ यह होता है कि शिविर में आने वाला डाक्टर जब मरीज की जांच करेगा तो दवा भी लिखेगा। वह दवा मरीज किसी अन्य मेडिकल स्टोर से नहीं क्रय कर सकता। उसे उसी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी होगी जिसके द्वारा बाहरी डाक्टर को बुलाकर मरीजों की जांच करवाई जाती है।

प्रैक्टिस के लिए कोई सूचना भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं

कोई भी बाहरी डाक्टर चाहे वह कितना भी अनुभवी या विशेषज्ञ क्यों न हो उसे शिविर लगाने के लिये स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिये। उसका यहां पंजीयन होना चाहिये ताकि यहां के स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी रहे कि कब कौन सा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहां बाहर से आया और उसके द्वारा कहां कौन सा शिविर लगाया गया। उसे अपने पंजीयन व प्रैक्टिस के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जानी चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करता केवल मेडिकल स्टोर वाले से फिक्सिंग कर यहा शिविरो का आयोजन करता है तो यह गलत है। किन्तु प्रचार ऐसा करवाया गया जैसे वह दुनियां भर की बीमारियों को ठीक करने वाला कोई दुर्लभ अनुभवी यहां प्रकट हो गया हो। इसलिये जो लोग स्पेशलिस्ट बनकर यहां आ रहे हैं उनकी योग्यता का प्रमाण उन्हें केवल पंपलेट में ही देना विधि संगत कैसे हो सकता है।

निरस्त होने चाहिए मेडिकल स्टोर के लाइसेंस?

किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा यदि अपने फायदे के लिये नि:शुल्क शिविर के नाम पर अवैधानिक रूप से मेडिकल कैम्प आयोजित करवाये जाते हैं। उनके इस तरह के गोरखधंधे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिये और यदि इसके बाद भी वे नहीं मानते तो उनके लाईसेंस निरस्त होने चाहिये। क्योकि किसी भी मेडिकल स्टोर के संचालक को मेडिकल कैम्प अपनी दुकान के आसपास लगाने का लाईसेंस नहीं दिया जाता बल्कि उसे दवाईयां बिक्री करने का लाईसेंस दिया जाता है। इसलिये उसे जो ग्राहक आते हैं उन्हें दवा बिक्री करनी चाहिये। यदि नि:शुल्क शिविर के नाम पर कोई मेडिकल वाला गोरखधंधा चला रहा है वह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन है। वह प्राईवेट क्लीनिक खोलने के लिये नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन है।